[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 23rd September, 2016

G.S.R. ……(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (hereafter referred to as principal rules), in rule 3,-

(a) in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that in the case of a company existing on the commencement of the Act, the particulars as available in the register of members maintained under the Companies Act, 1956 shall be transferred to the new register of members in Form No.MGT-1 and in case additional information, required as per provisions of the Act and these rules, is provided by the members, such information may also be added in the register as and when provided.";

(b) in sub-rule (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that in the case of a company existing on the date of commencement of the Act, the particulars as available in the register of members maintained under the Companies Act, 1956 shall be transferred to the new register of members in Form No.MGT-1 and in case additional information, required as per provisions of the Act and these rules, is provided by the members, such information may also be added in the register as and when provided.".

3. In the principal rules, in rule 9,-

(a) in sub-rule (1), the words "in duplicate" at both places where they occur, shall be omitted.

(b) in sub-rule (2, the words "in duplicate"), at both places where they occur, shall be omitted.

4. In the principal rules, for rule 13 the following rule shall be substituted, namely:-

"13. Every listed company shall file with the Registrar, a return in **Form No.MGT.10**, with respect to changes in the shareholding position of promoters and top ten shareholders of the company, in each case, representing increase or decrease by two per cent or more of the paid-up share capital of the company, within fifteen days of such change.".

5. In the principal rules, in rule 17, in sub-section (2), in the Explanation, for the words "on working day", the words "on any day except national holiday" shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 20, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Every company which has listed its equity shares on a recognised stock exchange and every company having not less than one thousand members shall provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at a general meeting by electronic means:

Provided that a *Nidhi*, or an enterprise or institutional investor referred to in Chapter XB or Chapter XC of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 is not required to provide the facility to vote by electronic means:

Explanation.- For the purpose of this sub-rule, "Nidhi" means a company which has been incorporated as a Nidhi with the object of cultivating the habit of thrift and savings amongst its members, receiving deposits from and lending to, its members only, for their mutual benefit, and which complies with such rules as are prescribed by the Central Government for regulation of such class of companies.".

7. In the principal rules, in rule 22, sub-rule (7) and sub-rule (14) shall be omitted .

8. In the principal rules, in rule 25, in sub-rule (1), in clause (e), the words "or such other place as may be approved by the Board" shall be omitted.

9. In the principal rules, for Form MGT-6, the following Form, shall be substituted, namely:-

FORM NO. MGT-6

[Pursuant to section 89(6) of The Companies Act, 2013 and pursuant to rule 9(3) of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Return to the Registrar in respect of declaration under section 89 received by the company

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company [ ] Pre-Fill

(b) Global location number (GLN) of company [ ]

2.(a) Name of the company [ ]

(b) Address of the registered office of the company [ ]

I. Particulars of shares in respect of which the person whose name is entered in the register of members of the company as a holder of shares does not hold the beneficial interest in such shares

1.(a) *Number of shares [ ]

(b) Distinctive number of shares From [ ] To [ ]

(c) *Kind of shares [ ]

(d) *Face value of shares (Rs.) [ ]

(e) *Paid-up value of shares (Rs.) [ ]

2.(a) *Name of the person in whose name the above shares have been registered as holder in the register of members

[ ]

(b) *Address Line I [ ]

Line II [ ]

(c) *City [ ]

(d) *State [ ]

(e) *Country [ ]

(f) *Pin code [ ]

(g) *Nationality [ ]

(h) Father's name or Husband's name ○ Father's name ○ Husband's name

[ ]

(i) Name of the Authorized person [ ]

(j) *Date of entry of name in register [ ] (DD/MM/YYYY)

3.(a) * Name of person who holds a beneficial interest in such

(b) *Address Line I

Line II

(c) *City

(d) * State

(e) * Country

(f) *Pin code

(g) *Nationality

4.(a) * Date of declaration (DD/MM/YYYY)

(b) *Name of the declarants

(c) *Occupation

5. *Date of receipt of declaration by the company (DD/MM/YYYY)

II. Particulars of shares in respect of which the person whose name is entered in the register of members of the company as a holder of shares does not hold the beneficial interest in such shares

1.(a) Number of shares

(b) Distinctive number of shares From To

(c) Kind of shares

(d) Face value of shares (Rs.)

(e) Paid-up value of shares (Rs.)

2.(a) Name of the person in whose name the above shares have been registered as holder in the register of members

(b) Address Line I

Line II

(c) City

(d) State

(e) Country

(f) Pin code

(g) Nationality

(h) Father's name or Husband's name ◯ Father's name ◯ Husband's name

(i) Name of the authorized person

(j) Date of entry of name in register (DD/MM/YYYY)

3.(a) Name of person who holds a beneficial interest in such

(b) Address Line I

Line II

(c) City

(d) State

(e) Country

(f) Pin code

(g) Nationality

4.(a) Date of declaration (DD/MM/YYYY)

(b) Name of the declarants

(c) Occupation

5. Date of receipt of declaration by the company (DD/MM/YYYY)

III. Particulars of shares in respect of which the person whose name is entered in the register of members of the company as a holder of shares does not hold the beneficial interest in such shares

1.(a) Number of shares

(b) Distinctive number of shares From To

(c) Kind of shares

(d) Face value of shares (Rs.)

(e) Paid-up value of shares (Rs.)

2.(a) Name of the person in whose name the above shares have been registered as holder in the register of members

(b) Address Line I

Line II

(c) City

(d) State

(e) Country

(f) Pin code

(g) Nationality

(h) Father's name or Husband's name ◯ Father's name ◯ Husband's name

(i) Name of the authorized person

(j) Date of entry of name in register (DD/MM/YYYY)

3.(a) Name of person who holds a beneficial interest in such shares

(b) Address Line I

Line II

(c) City

(d) State

(e) Country

(f) Pin code

(g) Nationality

4.(a) Date of declaration (DD/MM/YYYY)

(b) Name of the declarants

(c) Occupation

5. Date of receipt of declaration by the company (DD/MM/YYYY)

IV. Particulars of shares in respect of which the person whose name is entered in the register of members of the company as a holder of shares does not hold the beneficial interest in such shares

1.(a) Number of shares

(b) Distinctive number of shares From To

(c) Kind of shares

(d) Face value of shares (Rs.)

(e) Paid-up value of shares (Rs.)

2.(a) Name of the person in whose name the above shares have been registered as holder in the register members

(b) Address Line I

Line II

(c) City

(d) State

(e) Country

(f) Pin code

(g) Nationality

(h) Father's name or Husband's name ○ Father's name ○ Husband's name

(i) Name of the authorized person

(j) Date of entry of name in register (DD/MM/YYYY)

3.(a) Name of person who holds a beneficial interest in such

(b) Address Line I

Line II

(c) City

(d) State

(e) Country

(f) Pin code

(g) Nationality

4.(a) Date of declaration (DD/MM/YYYY)

(b) Name of the declarants

(c) Occupation

5. Date of receipt of declaration by the company (DD/MM/YYYY)

V. Particulars of shares in respect of which the person whose name is entered in the register of members of the company as a holder of shares does not hold the beneficial interest in such shares

1.(a) Number of shares

(b) Distinctive number of shares From To

(c) Kind of shares

(d) Face value of shares (Rs.)

(e) Paid-up value of shares (Rs.)

2.(a) Name of the person in whose name the above shares have been registered as holder in the register of members

(b) Address Line I

Line II

(c) City

(d) State

(e) Country

(f) Pin code

(g) Nationality

(h) Father's name or Husband's name ○ Father's name ○ Husband's name

(i) Name of the authorized person

(j) Date of entry of name in register (DD/MM/YYYY)

3.(a) Name of person who holds a beneficial interest in such shares

(b) Address Line I

Line II

(c) City

(d) State

(e) Country

(f) Pin code

(g) Nationality

4.(a) Date of declaration (DD/MM/YYYY)

(b) Name of the declarants

(c) Occupation

5. Date of receipt of declaration by the company (DD/MM/YYYY)

Attachments

1. *Declaration by person referred to in section 89(1) Attach

2. *Declaration by person referred to in section 89(2) or 89(3) Attach

3. Optional attachment(s) - if any Attach

List of attachments

Remove attachment

Declaration

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete

I have been authorised by the board of directors' resolution dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form

***To be digitally signed by** DSC BOX

*Designation

*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively

Check Form Prescrutiny

For office use only:

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

Date of signing (DD/MM/YYYY)

[F. No. 1/34/2013 CL-V-Part-I]

23/09/2016

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 260(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 415 (E)	23.06.2014
2.	G.S.R. 537 (E)	24.07.2014
3.	G.S.R. 669 (E)	28.08.2015
4.	G.S.R. 737 (E)	24.09.2015
5.	G.S.R.862 (E)	16.11.2015

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2016

[सा.का.नि. ....(अ) - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2016 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में, -

2, (क) उपनियम (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान कंपनी के मामले में, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रखे गए सदस्यों के रजिस्टर यथा उपलब्ध विशिष्टियां प्ररूप सं. एमजीटी-1 में सदस्यों के नए रजिस्टरों में अंतरित कर दी जाएंगी और यदि अधिनियम और इन नियमों के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ऐसी जानकारी, जब कभी उपलब्ध कराई जाए, रजिस्टर में भी सम्मिलित की जाएगी।;

"परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान कंपनी के मामले में, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में यथा उपलब्ध विशिष्टियां प्ररूप सं. एमजीटी-1 में सदस्यों के नए रजिस्टर में अंतरित कर दी जाएंगी और यदि अधिनियम और इन नियमों के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी जानकारी, जब कभी उपलब्ध कराई जाए, रजिस्टर में भी सम्मिलित की जाएगी।";

3. मूल नियम के नियम 9 में, -

(क) उप नियम (1) में "दो प्रतियों में" शब्दों का दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं लोप किया जाएगा :

(2) उप नियम (2) में "दो प्रतियों में" शब्दों का दोनों स्थानों पर जहां जहां वे आते हैं लोप किया जाएगा ;

4. मूल नियम में, नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"13. प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी प्रत्येक मामले में रजिस्ट्रार के पास कंपनी के संप्रवर्तकों और शीर्ष दस शेयर धारकों की शेयर धारिता में परिवर्तनों के संबंध में ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिन के भीतर कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी के दो प्रतिशत या उससे अधिक तक वृद्धि या कमी को व्यपदिष्ट करने वाला विवरण प्ररूप संख्या एमजीटी. 10 में फाइल करेगी।"

5. मूल नियम के नियम 17 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में "कार्यदिवस को" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय अवकाश के सिवाय किसी भी दिन" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल नियम के नियम 20 में, उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) ऐसी प्रत्येक कंपनी जिसने मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर अपने साम्या शेयरों को सूचीबद्ध किया है और प्रत्येक कंपनी जिसकी एक हजार सदस्यों से कम सदस्य नहीं हैं, अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा साधारण अधिवेशन में विचार किए जाने के लिए प्रस्तावित संकल्पों पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेगी:

परंतु कोई निधि, या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अध्याय 10ख और अध्याय 10ग में निर्दिष्ट कोई उद्यम या संस्थानिक विनिधानकर्ता से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है :

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "निधि" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो निधि के रूप में निगमित की गई है और जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों में मितव्ययिता और बचतों को केवल अपने सदस्यों से उनके पारस्परिक फायदे के लिए निक्षेप प्राप्त करके और उन्हें उधार देकर आगे बढ़ाना है और जो ऐसे नियमों का अनुपालन करते हैं जो कंपनियों के ऐसे वर्ग के विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाते हैं।"

7. मूल नियम के नियम 22 के उप-नियम (7) और उपनियम (14) का लोप किया जाएगा।

8. मूल नियम के नियम 25 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) में "या ऐसा अन्य स्थान जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

9. मूल नियम में प्ररूप एमजीटी 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. एमजीटी 6 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 (6) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन), नियम, 2014 के नियम 9(3) के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते	कंपनी द्वारा धारा 89 के अधीन प्राप्त घोषणा के संबंध में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

प्ररूप की भाषा *अंग्रेजी *हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए निर्देश किट देखें।

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)..(पूर्व पूरित)
   (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)..

2. (क) कंपनी का नाम ....
   (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता ....
   ....

I. उन शेयरों की विशिष्टयां जिनके संबंध में उस व्यक्ति, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज हो और ऐसे शेयरों में उसका फायदाप्रद हित न हो।

1. (क) *शेयरों की संख्या..
   (ख) शेयरों की विशिष्ट संख्या..............................से..............................तक
   (ग) *शेयरों के प्रकार..
   (घ) *शेयरों का अंकित मूल्य (रू.)..
   (ङ) *शेयरों का समादत्त मूल्य (रू.)..

2. (क) *उस व्यक्ति जिसका नाम, जिसके नाम में सदस्यों के रजिस्टर में उपर्युक्त शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है..
   (ख) *पता पंक्ति I..
   पंक्ति II..
   (ग) *शहर..
   (घ) *राज्य..
   (ङ) *देश..
   (क) *पिन कोड..
   (ख) *राष्ट्रीयता..
   (ग) पिता या पति का नाम ∘ पिता का नाम ∘ पति का नाम
   (i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम..
   (घ) *रजिस्टर में नाम प्रविष्टि की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

3. (क) *उस व्यक्ति का नाम जिसका उक्त में फायदाप्रद हित हो
   (ख) *पता पंक्ति I..
   पंक्ति II..
   (ग) *शहर..
   (घ) *राज्य..
   (ङ) *देश..

(च) *पिन कोड..

(छ) *राष्ट्रीयता...

4. (क) *घोषणा की तारीख..(दिन/मास/वर्ष)

(ख) *घोषणाकर्ताओं का नाम...

(ग) *व्यवसाय..

5. *कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्त करने की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

II. उन शेयरों की विशिष्टियां जिनके संबंध मे उस व्यक्ति, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज हो और ऐसे शेयरों में उसका फायदाप्रद हित न हो।

1.(क) शेयरों की संख्या..

(ख) शेयरों की विशिष्ट संख्या..........................से..तक

(ग) शेयरों के प्रकार..

(घ) शेयरों का अंकित मूल्य (रू.)..

(ङ) शेयरों का समादत्त मूल्य (रू.)..

2. (क) उस व्यक्ति जिसका नाम, जिसके नाम सदस्यों के रजिस्टर में उपर्युक्त शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है...

(ख) पता पंक्ति I..

पंक्ति II..

(ग) शहर..

(घ) राज्य...

(ङ) देश...

(च) पिन कोड..

(छ) राष्ट्रीयता...

(ज) पिता या पति का नाम + पिता का नाम + पति का नाम

(i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम..

(झ) रजिस्टर में नाम प्रविष्टि की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

3. (क) उस व्यक्ति का नाम जिसका उक्त में फायदाप्रद हित हो

(ख) पता पंक्ति I..

पंक्ति II..

(ग) शहर..

(घ) राज्य...

(ङ) देश...

(च) पिन कोड..

(छ) राष्ट्रीयता...

4. (क) घोषणा की तारीख..(दिन/मास/वर्ष)

(ख) घोषणाकर्ताओं का नाम...

(ग) व्यवसाय..

5. कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्त करने की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

III. उन शेयरों की विशिष्टियां जिनके संबंध मे उस व्यक्ति, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप मे दर्ज हो और इस तरह के शेयरों मे उसका फायदाप्रद हित न हो।

1. (क) शेयरों की संख्या..

(ख) शेयरों की विशिष्ट संख्या....................................से..तक

(ग) शेयरों के प्रकार...

(घ) शेयरों का अंकित मूल्य (रू.)..

(ड) शेयरों का समादत्त मूल्य (रू.)...

2. (क) उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम में सदस्यों के रजिस्टर में उपर्युक्त शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है...

(ख) पता पंक्ति I...

पंक्ति II...

(ग) शहर...

(घ) राज्य..

(ड़) देश...

(च)पिन कोड...

(छ)राष्ट्रीयता...

(ज) पिता या पति का नाम • पिता का नाम • पति का नाम

(i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम..

(झ) रजिस्टर में नाम प्रविष्टि की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

3. (क) उस व्यक्ति का नाम जिसका उक्त में लाभकारी हित हो

(ख) पता पंक्ति I...

पंक्ति II...

(ग) शहर...

(घ) राज्य..

(ड) देश...

(च)पिन कोड...

(छ) राष्ट्रीयता...

4. (क) घोषणा की तारीख..(दिन/मास/वर्ष)

(ख) घोषणाकर्ताओं का नाम..

(ग) व्यवसाय..

5. कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्त करने की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

IV. उन शेयरों की विशिष्टियां जिनके संबंध में उस व्यक्ति, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज हो और ऐसे शेयरों में उसका फायदाप्रद हित न हो।

1. (क) शेयरों की संख्या..

(ख) शेयरों की विशिष्ट संख्या....................................से..तक

(ग) शेयरों के प्रकार...

(घ) शेयरों का अंकित मूल्य (रू.)..

(ड) शेयरों का समादत्त मूल्य (रू.)...

2. (क) उस व्यक्ति जिसका नाम जिसके नाम में सदस्यों के रजिस्टर में उपर्युक्त शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है...

(ख) पता पंक्ति I...

पंक्ति II...

(ग) शहर...

(घ) राज्य...

(ड) देश...

(च) पिन कोड...

(छ) राष्ट्रीयता...

(ज) पिता या पति का नाम • पिता का नाम • पति का नाम

(i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम...

(झ) रजिस्टर में नाम प्रविष्टि की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

3. (क) उस व्यक्ति का नाम जिसका उक्त में फायदाप्रद हित हो

(ख) पता पंक्ति I...

पंक्ति II...

(ग) शहर...

(घ) राज्य...

(ड) देश...

(च) पिन कोड...

(छ) राष्ट्रीयता...

4. (क) घोषणा की तारीख..(दिन/मास/वर्ष)

(ख) घोषणाकर्ताओं का नाम...

(ग) व्यवसाय...

5. कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्त करने की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

V. उन शेयरों की विशिष्टियां जिनके संबंध में उस व्यक्ति, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज हो और ऐसे शेयरों में उसका फायदाप्रद हित न हो।

1. (क) शेयरों की संख्या...

(ख) शेयरों की विशिष्ट संख्या.......................................से...तक

(ग) शेयरों के प्रकार...

(घ) शेयरों का अंकित मूल्य (रु.)...

(ड) शेयरों का समादत्त मूल्य (रु.)...

2. (क) उस व्यक्ति जिसका नाम जिसके नाम में सदस्यों के रजिस्टर में उपर्युक्त शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है...

(ख) पता पंक्ति I...

पंक्ति II...

(ग) शहर...

(घ) राज्य...

(ड) देश...

(च) पिन कोड...

(छ) राष्ट्रीयता..

(ज) पिता या पति का नाम • पिता का नाम • पति का नाम

(i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम...

(झ) रजिस्टर में नाम प्रविष्टि की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

3 (क) उस व्यक्ति का नाम जिसका उक्त में फायदाप्रद हित हो

(ख) पता पंक्ति I..

पंक्ति II..

(ग) शहर..

(घ) राज्य..

(ङ) देश...

(च) पिन कोड...

(छ) राष्ट्रीयता...

4. (क) घोषणा की तारीख...(दिन/मास/वर्ष)

(ख) घोषणाकर्ताओं का नाम...

(ग) व्यवसाय..

5. कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्त करने की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

संलग्नक

1. • धारा 89(1) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा घोषणा.. (संलग्न करें)
2. • धारा 89 (2) या 89 (3) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा घोषणा.................................... (संलग्न करें)
3. वैकल्पिक संलग्नक , यदि कोई हो..(संलग्न करें)

संलग्नकों की सूची

संलग्नक हटाएं

घोषणा

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्रपत्र और उसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है। मुझे निदेशक मंडल के तारीख........................ [दिन/मास/वर्ष] के संकल्प द्वारा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने और इसे फाइल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

***डिजीटल हस्ताक्षर करने हेतु** (डीएससी बॉक्स)

*पदनाम..

•निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या सीईओ या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डिन या पैन या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या..

टिप्पण : धारा 448 तथा 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः मिथ्या कथन के लिए दंड तथा मिथ्या साक्ष्यों के लिए दंड का उपबंध करते हैं।

(संशोधित) (प्ररूप चैक करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत)

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु: (फाइल करने संबंधी ब्यौरे संलग्न करें)

ई-प्रपत्र सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)........................ ई-प्रपत्र जमा करने की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्रपत्र रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर....................................(जमा करने की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तारीख ....(दिन/मास/वर्ष)

[फा.सं. 1/34/2013 सीएल-V-पार्ट-I]

अमरदीप
23/09/2016

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) तारीख 31 मार्च, 2014 में सा.का.नि. 260 (अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया :-

क्रम संख्या	अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 415 (अ)	23.06.2014
2.	सा.का.नि. 537 (अ)	24.07.2014
3.	सा.का.नि. 669 (अ)	28.08.2015
4.	सा.का.नि. 737 (अ)	24.09.2015
5.	सा.का.नि. 862 (अ)	16.11.2015